EXAMINATIONS

12.1 A student may be debarred from appearing in the end semester examination due to the following reasons:

a. If any disciplinary action is taken against him/her.

b. On recommendation of a teacher, if his/her attendance in the Lecture/Tutorial/ Practical classes has less than the prescribed minimum during the semester.

SUPPLEMENTRY EXAMINATIONS

13.1 Students who have missed an end semester examination on any reason are eligible to appear for the same examination (Odd scheduled exam in the odd semester & Even scheduled exam in the Even semester) in the subsequent occurring odd or even semester, respectively.

This will be permitted on the request of the student through a form and on payment of the requisite fee.

WITHHOLDING OF GRADES

14.1 Grades shall be withheld when the student has not paid his/her dues or when there is a disciplinary action pending against him/her.

ELIGIBILITY FOR THE AWARD OF B. TECH. DEGREE

15.1 A student shall be declared to be eligible for the award of B. Tech. degree if he/she has:

a. completed all the credit requirements for the degree with a grade D (Pass) or higher grade in each of the subjects (Theory, Laboratory, Workshop, etc), Seminar, Project, Industrial Training, Internship etc;

b. satisfactorily completed all the non-credit requirements for the degree viz Extra Academic Activities, Industrial Training, etc (if any);

c. no dues to the Institute, Department, Hostels, NCC, NSS and NSO; and

d. no disciplinary action is pending against him/her.

15.2 The award of B. Tech. degree must be recommended by the Senate and approved by the Board of Governors / Governing Body of the Institute.

[F. No. 52-2/2017–TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Addl. Secy. (TE)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3817(अ).— भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़

अध्यादेश

1		**विद्यार्थियों का संस्थान में दाखिला :**
	1.1	विद्यार्थियों का दाखिला, पंजीकरण, कक्षाएं प्रारंभ होना और अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाएं सीनेट द्वारा अनुशंसित और बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाएगा।
2		**डिग्री और गैर-डिग्री अध्ययन कार्यक्रम :**
	2.1	संस्थान द्वारा परम्परागत और ऑन-लाइन प्रणालियों के माध्यम से अवर स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान, समेकित और दोहरे डिग्री कार्यक्रम तथा प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा और अन्य गैर-डिग्री कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे।

	2.2	संस्थान द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जो सीनेट द्वारा यथा विनिर्दिष्ट और बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित डिग्री कार्यक्रम हेतु सभी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।
	2.3	सभी डिग्री कार्यक्रमों के लिए दो सेमेस्टर के वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर सहित एक वैकल्पिक ग्रीष्मकालीन अवधि के सेमेस्टर का संचालन किया जाएगा जबकि गैर-डिग्री कार्यक्रम वर्ष में किसी भी समय प्रारंभ किए जा सकते हैं।
	2.4	विभिन्न कार्यक्रमों की समयावधि को सीनेट द्वारा और बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत समय-समय पर संबंधित अध्ययन कार्यक्रमों के संचालन हेतु दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
3		**मूल्यांकन की योजना :**
	3.1	संस्थान द्वारा प्रत्येक डिग्री कार्यक्रम की अध्ययन योजना हेतु क्रेडिट आधारित योजना लागू की जाएगी।
	3.2	विद्यार्थियों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु सीनेट द्वारा यथा विनिर्दिष्ट और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सापेक्ष अथवा निरपेक्ष अक्षर ग्रेड प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, जिसे समकक्ष संचयी कार्य-निष्पादन सूचकांक में परिवर्तित किया जाएगा।
	3.3	किसी विशिष्ट अध्ययन कार्यक्रम के लिए प्रत्येक साख हेतु सीनेट द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कतिपय **'कांटेक्ट'** घंटे अपेक्षित होंगे।
4		**अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किया जाना :**
	4.1	अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पदक, प्रदर्शनियां और पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रियाएं सीनेट द्वारा निर्धारित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों द्वारा अभिशासित होंगी।
5		**संस्थान के वित्त पोषण :**
	5.1	संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए प्रभारित किए जाने वाले उपभोक्ता प्रभारों/शुल्कों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की लागतें वसूल की जाएं।
	5.2	संकाय सदस्यों द्वारा उद्यमिता अथवा बौद्धिक सम्पदा के माध्यम से अर्जित किसी परामर्श शुल्क और लाभ अथवा प्रतिलाभ को संस्थान के परामर्श मानदंडों के अनुसार संस्थान के साथ साझा किया जाएगा।

[फा .सं .52-2/2017.टीएस-I]

सुखबीर सिंह संधू, अपर सचिव (टीई)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2019

S.O. 3817(E).—In exercise of the powers conferred by section 33 read with section 34 (1) (2) and (3) of the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017), the Senate with the approval of the Board of Governors, make the following Ordinances of Indian Institute of Information Technology, Dharwad.

Indian Institutes of Information Technology, Dharwad

Ordinances

1		**Admission of students to the Institute:**
	1.1	Admission, registration, commencement of classes and other academic processes shall be as recommended by the Senate and approved by the Board from time to time.
2		**Degree and non-degree programmes of study:**

	2.1	The Institute may offer undergraduate, post-graduate, research, integrated and dual degree programmes as well as certificate, diploma, and other non-degree programmes through conventional or on-line modes.
	2.2	The Institute shall award degrees to candidates meeting all the requirements for the degree programme as specified by Senate and approved by the Board from time to time.
	2.3	All degree programmes shall follow an annual academic calendar of two semesters plus an optional summer term while non-degree programmes may begin at any time of the year.
	2.4	The duration of various programmes shall be specified in the guidelines governing the respective programmes of study from time to time by the Senate and approved by the Board.
3		**Scheme of evaluation:**
	3.1	The Institute shall follow a credit based scheme of study for each degree programme.
	3.2	The evaluation of the performance of students shall follow a system of relative or absolute letter grades which shall be converted to an equivalent cumulative performance index (CPI) as specified by the Senate and approved by the Board.
	3.3	Each credit shall require a certain number of contact hours as specified by the Senate for the particular programme of study.
4		**Award of the fellowships, scholarships, medals and prizes:**
	4.1	Awards of fellowships, scholarships, medals, exhibitions and prizes shall be governed by conditions decided by the Senate and approved by the Board.
5		**Finances of the Institute:**
	5.1	The Institute shall ensure that user charges/ fees charged by it for its various courses and programmes recover the costs of providing the services.
	5.2	Any consulting fee and gains or returns from entrepreneurship or intellectual property earned by faculty shall be shared with the Institute as per the consulting norms of the Institute.

[F. No. 52-2/2017–TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Addl. Secy. (TE)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3818(अ).— भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

I. बीटेक कार्यक्रम के अध्यादेश

0.1 भा. सू. प्रौ. सं. कोट्टायम में केंद्रीय पद आबंटन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसार) के माध्यम से प्रवेश पाने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता10 + 2 (कक्षा XII) या उसके समकक्ष की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण है।

0.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसारअध्ययन की विशेष शाखा में प्रवेशमिलता है।

0.3 सामान्य रूप से बीटेक कार्यक्रम की अवधि 8 सेमेस्टर होगी, और दोहरी स्नातक कार्यक्रम की अवधि 10 सेमेस्टर होगा।

0.4 बीटेक/बीटेक (ऑनर्स)/बीटेक + एमएस दोहरी स्नातक कार्यक्रम का पुरस्कार संस्थान की शैक्षणिक सलाहकार समिति/वरिष्ठ सभा के नियमों के अनुसार होगा।

II. पीएचडी कार्यक्रम के अध्यादेश

1. अनुसंधान के निर्धारित कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किए गए उम्मीदवार को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोट्टायम ने अभियांत्रिकी/विज्ञान/मानवीकी में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रदान की है।